Vol 6 Issue 6 July 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

ISSN: 2230-7850 Impact Factor : 4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 6 | July - 2016

Indian Streams Research Journal
International Recognized Multidisciplinary Research Journal
ISSN No : 2230-7850 Impact Factor : 4.1625 (UIF) [Yr. 2016]

Indian Streams Research Journal

अनुसूचित जातियों में सामाजिक परिवर्तन

सुमन कुमार
पीएच. डी. शोधार्थी, डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,
डॉ. अम्बेड़कर नगर (महू), जिला–इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश :–

प्रस्तुत शोध पत्र उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की दो तहसीलों–मेरठ एवं सरधना तहसील के गांवों में निवासरत अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं के साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र की अनुसूचित जातियों में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हो रहा है तथा उनमें व्यवसायिक गतिशीलता बढ रही है परन्तु यह व्यवसायिक गतिशीलता अन्य जातियों की तुलना में अपेक्षित नहीं कही जा सकती। सामाजिक न्याय एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए यह वर्ग अभी क्षेत्र की प्रभु जातियों पर आश्रित है। समाज की परम्परागत संरचना के विरुद्ध अभी भी इस वर्ग के लोग आवाज उठाने से कतराते हैं। अनुसूचित जाति के आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर व्यक्ति न्याय के लिए सरकारी एजेंसियों के पास जाते हैं जबकि अपेक्षाकृत निर्धन व्यक्ति अभी भी गांव के प्रभावशाली लोगों की मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद निपटाना उपयुक्त मानते हैं।

गांव की जजमान आधारित सामाजिक संरचना समाप्त प्रायः हो चुकी है। परम्परागत एकरुपता युक्त जीवन में रहने वाली यांत्रिक एकता का स्थान सावयवी एकता ने ले लिया है। चूँकि अनुसूचित जातियों के लोग वर्तमान में प्रचलित कार्य जैसे साइकिल रिपेरिंग, निर्माण कार्य के कारीगर, बढईगिरी, टयूशन पढाना, भैसा बुग्गी (बैलगाडी) चलाना, साइकिल/इन्जिन/बाइक/कार मैकेनिक आदि कार्य सीखकर कुछ सीमा तक आत्मनिर्भर हो गये हैं और उनकी इन विशिष्टताओं की समाज के दूसरे लोगों को आवश्यकता पडती है, अतः समाज में परस्पर आवश्यकता के कारण एक सामंजस्य पैदा हुआ है। राजनीतिक रुप से भी इस वर्ग में चेतना का प्रार्दुभाव हुआ है और अब पहले की अपेक्षा स्थानीय स्तर पर अधिक नेताओं का उदय हुआ है तथा क्षेत्र की सवर्ण जातियो के लोग भी इन्हें अपने विवादों के निपटारे के लिए बुलाते हैं। इसके अतिरिक्त आमजन में राजनीतिक चेतना अपेक्षाकृत कम है तथा केवल चुनाव के समय ही वे सक्रिय होते हैं। अधिकांश समय जीवन निर्वाह के कार्यों में व्यस्तता तथा पारम्परिक सामाजिक मूल्य इसके कारण हैं। धार्मिक क्षेत्र में स्थिति अभी बहुत ज्यादा नहीं बदली है तथा इन जातियों के लोग अभी भी अनेक सामाजिक व अन्य कारणों से मन्दिर आदि नहीं जाते हैं जबकि वे जाना चाहते हैं। कथा, रामायण पाठ आदि पर अभी भी पूरी तरह से सवर्ण जातियों का एकाधिकार है तथा इन लोगों की इसमें कोई भुमिका नहीं होती है। त्यौहार आदि मनाना भी अपनी ही जातियों तक ही सीमित है। शादी व अन्य समारोह में जाने पर पहले की अपेक्षा भेदभाव कम हुआ है परन्तु समाप्त नहीं हुआ है सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत कम लोगों तक पहुँचा है तथा सरकारी मशीनरी जैसे पुलिस तथा पटवारी राजनीतिक सत्ता के बदलने पर अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं। महिलाओं की स्थिति में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। उनमें शिक्षा का प्रतिशत बढा है तथा बी.एड/बी टी सी जैसे पाठयक्रम में नई बालिकाऐं प्रशिक्षण ले रहीं हैं। परिवार में महिलाओं की सलाह पर ध्यान दिया जाने लगा है। भूतप्रेत तथा जादू टोने जैसी चीजों में भी कमी आ रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।

प्रस्तावना :–

भारत की अनुसूचित जातिया जिन्हें पूर्व में अन्त्यज, अन्त्यवासिन, चाण्डाल, अछूत आदि नामों से पुकारा जाता था, प्राचीन काल से

ही अनेक निर्योग्यताओं से पीडित रही हैं तथा अपने उपर थोपी गयी इन निर्याग्ताओं को हटाने एवं न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती रही हैं। अनेक महापुरुषों तथा सन्तो ने भी इस मुहिम में उनका साथ दिया तथा उनके लिए आन्दोलन चलाये, परन्तु इनका यह संघर्ष हिन्दू समाज की जाति आधारित तथा धर्म द्वारा समर्थित क्रमिक असमानतायुक्त सामाजिक संरचना के कारण कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इस सामाजिक संरचना के कारण उच्च जातीय हिन्दु इनके जीवन में आये किसी भी बदलाव को अपने धर्म के लिए खतरा मानते हैं तथा किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। परन्तु मध्य काल में सन्तों के आन्दोलन तथा सत्रहवी व अटठारवी शताब्दी में मराठों तथा इसके बाद अग्रेजों ने इन जातियों के लिए सेना में भर्ती के दरवाजे खोलने तथा अग्रेजों द्वारा सैनिक परिवारों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के कारण इन जातियों के एक छोटे से समुह की स्थिति में कुछ परिवर्तन परिलक्षित हुए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सबके लिए शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में बिना जाति व धर्म के प्रवेश देने के कानून बनाने के परिणामस्वरुप इन जातियों को परिवर्तन व विकास का अवसर मिला। परन्तु समाज के रुढिवादी रवैये के कारण अनुसुचित जातियों को मिले किसी अवसर का लाभ उठाने के रास्ते में अनेक रुकावटें डाली जाती रही हैं। आजादी के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों तथा कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा इन जातियों की स्थिति को सुधारने के जो प्रयास किये गये वे सभी अनेक सामाजिक, प्रशासनिक तथा अन्य कारणों से यथोचित परिणाम देने में असमर्थ रहे इसी कारण आज भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अन्य जातियों की तुलना में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पीछे है तथा समाज में अपनी उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे–धीरे ही सही भारत ने लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। अनुसूचित जाति जैसे हासिये पर रहे शोषित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक कानून भी बने तथा लागू किये गये। इन जातियों के लिए पंचवर्षीय योजनओं में विशेष प्रावधान, अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आवास योजनाऐं, छात्रावास सुविधा तथा स्वरोजगार आदि कार्यक्रम लागू करने के बाद इन वर्गों की स्थिति में कछ परिवर्तन आया है परन्तु अभी भी समाज का अपेक्षित सहयोग न मिलने तथा कार्यक्रमों को लागू करने वाली एजेन्सियों के उचित सहयोग न मिलने के कारण इन वर्गों की स्थिति में अपेक्षानुरुप परिपर्तन नहीं आया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन अनुसुचित जतियों में आये सामाजिक परिवर्तन का आकलन करने के लिए किया गया है।

अध्ययन का उददेश्य

अनुसूचित जातियों के सामाजिक न्याय एवं विकास के परिवर्तित प्रतिमानों का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। जो देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। मेरठ जिले में वर्तमान में उद्योग, शिक्षा एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में काफी विकास हो रहा है जिससे वहां के नागरिकों में व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ रही है तथा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।

अध्ययन का समग्र

उत्तर प्रदश के मेरठ जिले के चयनित बीस गांवों के अनुसूचित जातियों के व्यस्क व्यक्ति अध्ययन का समग्र हैं।

निदर्शन

प्रस्तुत अध्ययन के लिए बहुस्तरीय निदर्षन विधि का उपयोग किया गया है।

प्रथम स्तर

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का चयन किया गया।

द्वितीय स्तर

द्वितीय स्तर पर उत्तर पदेष के बीस गांवों का चयन दैव निदर्षन के आधार पर किया गया।

तृतीय स्तर

तृतीय स्तर में चयनित 20 गांवों में प्रत्येक गांव से 15 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया।

निदर्शन का आकार

कुल बीस गांवों से अनुसूचित जातियों के 300 उत्तरदाताओं का चयन कर उनका साक्षात्कार करके सूचनाऐं एकत्र करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

अनुसूचित जातियों में सामाजिक परिवर्तन

आज से लगभग दो तीन दशक पहले अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव की स्थिति आज की अपेक्षा ठीक नहीं थी। अनुसूचित जातियों पर अनेक प्रतिबन्ध थे तथा उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने की आजादी नहीं थी। शानौशौकत के साथ रहना तथा गाजे बाजे के साथ बारात आदि निकालना उच्च कही जाने वाली जातियों का विशेषाधिकार माना जाता था। समय के साथ साथ कानून के प्रभाव तथा अनुसूचित जातियों की जागरुकता, आर्थिक स्थिति में सुधार तथा राजनीतिक माहौल में आये परिवर्तन के कारण अब ये जातियां अपने

अधिकारों का उपयोग करने लगी हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि पहले जहां केवल 18.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में ही दूल्हा घोडी पर बैठ सकता था वहीं अब अधिकांश 88.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवारों में दूल्हे को घोडी पर बैठने नहीं रोका जाता है परन्तु अभी भी 11.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि उनके परिवारों में दूल्हे को घोडी पर बैठने से या तो रोका जाता है अथवा वे इस भय के कारण कि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया जायेगा वे स्वयं ही इस प्रकार के कार्यों से परहेज करते हैं ऐसी परम्परा बन गयी है।

जाति के आधार पर विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सबसे अधिक 28.6 प्रतिशत वाल्मिकी जाति के उत्तरदाताओं के परिवारों में दूल्हे को घोडी पर बैठने से रोका जाता है। इसके बाद नट जाति के उत्तरदाताओं की संख्या थी। चूँकि वाल्मीकि जाति परम्परागत रुप से सबसे निम्न मानी जाती है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न है अतः सामाजिक प्रतिबन्धों का बसे अधिक शिकार वे ही बनते हैं। अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त नट जातियों की आर्थिक स्थिति ठीक होते हुए भी उनके उपर प्रतिबन्धों का असर अभी भी है क्योंकि उनका कार्य अबसे पहले नाच गाना तथा भीख मांगना रहा है जिसके कारण अभी भी उन्हें नीची नजर से देखा जाता है और उनके उपर सामाजिक प्रतिबन्धों का असर अभी भी है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है। जाटव तथा चमार जातियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है तथा जाटवों का मुख्य कार्य या तो मजदूरी करना अथवा खेती करना रहा है इसीलिए उन पर सामाजिक प्रतिबन्धों असर कम है । इसी प्रकार चमार जाति ने अपना चमडे का कार्य छोड़ दिया है और दूसरे अच्छे एवं सम्मान जनक कहे जाने वाले कार्य जैसे मजदूरी करना, छोटा मोटा व्यसाय चलाना, कपड़े सिलना आदि शुरु कर दिया है। इस कारण उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है और उन पर लगे प्रतिबन्ध कुछ शिथिल हुए हैं और वे भी परिवर्तन की दिशा में बढ रहे हैं।

हिन्दू जातियों के परिवारों में ब्राहमणों को शादी, समारोह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में बतौर पुरोहित बुलाना एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है तथा ब्राहमणों को निमंत्रित करने का साहस करना, ब्राहमण द्वारा निमंत्रण स्वीकार करना तथा स्वीकार करने पर समय पर उपस्थित होना आदि ऐसे कारक रहे हैं जिससे समाज में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा तय होती रही है। अनुसूचित जातियों को पहले अपने किसी कार्यक्रम के लिए ब्राहमणें बतौर पुरोहित निमंत्रण देने का साहस भी नहीं होता था अगर साहस करके निमंत्रण दे भी दिया तो अनेक बार ब्रामण समाज में निन्दा के भय से आते नही थे। परन्तु अब स्थिति धीर–धीरे बदल रही है और अनुसूचित जाति के व्यक्ति अब ब्राहमणों का पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में निमंत्रण देने लगे हैं और निमंत्रण स्वीकार कर ब्राहमण आते भी हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि पहले जहां केवल 21.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में ब्राहमणों को बतौर पुरोहित निमंत्रण दिया जाता था वहीं अध्ययन के समय 70.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवार में शादी, नामकरण अथवा अन्य किसी ऐसे ही अवसर पर ब्राहमणों को बुलाया जाता हैं। धानुक जाति के सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवारों में ब्राहमणों को बुलाया जाता है। चमार जाति के 82.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में ब्रहमण बतौर पुरोहित निमंत्रित किये जाते हैं। सबसे कम 50.0 प्रतिशत उत्तरदाता वाल्मीकि जाति में पाये गये जिन्होंने ब्राहमणों को पुरोहित के रुप में बुलाना बताया। वाल्मीकी जातियों से उनके गन्दे पेशे के कारण अभी भी समाज अभी भी दूरी बनाकर रखता है इस कारण उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी है।

उत्तरदाताओं से चर्चा के दौरान यह बात पता चली कि अनुसूचित जातियों के परिवारों की शादियों तथा अन्य अवसरों पर ब्राहमण बतौर पुरोहित आते तो हैं परन्तु अधिकांश अवसरों पर उन्हें दूसरे गांवों या शहरों से लाना पडता है। विशेषतयाः वाल्मीकि जाति में तो लगभग सभी उत्तरदाताओं, जिन्होंने अपने यहां पुरोहित बुलाये उन्होंने बताया कि गांव के ब्राहमण उनके यहां बतौर पुरोहित गांव के अन्य जातियों के व्यक्तियों के डर के कारण उनके यहां आना नहीं चाहते अतः उन्हें अपने यहां शादी के लिए बाहर से ब्राहमण बुलाना पडता है। इसके अतिरिक्त चमार व जाटव जातियों में भी कई बार यही स्थिति उत्पन्न होना बतायी गयी।

उक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज में अनुसूचित जातियों में परिवर्तन व विकास तो हो रहा है परन्तु समाज के अन्य वर्गों में उनकी स्थिति को अभी उतना स्वीकार नहीं किया गया है जितना किया जाना चाहिए था।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पहले की तुलना में अध्ययन के समय अधिक संख्या में ब्राहमण बतौर पुरोहित अनुसूचित जातियों के यहां शादियों एवं समारोह में आने लगे हैं। हालांकि जैसा कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है कि अनेक अवसरों पर गांव का ब्राहमण आने से इन्कार कर देता है और बाहर गांव या शहर से ब्राहमण बुलाना पडता है परन्तु फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि अब ब्राहमण पहले जैसा व्यवहार नहीं करते और बुलाने पर अधिकांश अवसरों पर आ जाते हैं। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पहले बुलाने पर केवल 25.0 प्रतिशत अवसरों पर ही ब्राहमण आते थे परन्तु अब कुल दिये गये निमंत्रणों में से 74.5 प्रतिशत अवसरों पर ब्राहमण बतौर पुरोहित अनुसूचित जातियों के यहां आ जाते हैं। कई अवसरों पर आना चाहते हुए भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि वे दूसरे के यहां पहले से ही अनुबंधित रहते हैं। पूर्व में नटों तथा वाल्मीकि जातियों के घरों में कोई ब्राहमण जाना पसन्द नहीं करता था तथा धानुक जाति के उत्तरदताओं ने बताया कि वे किसी ब्राहमण को बुलाते ही नहीं थे। परन्तु अब स्थिति बदल गयी है। अभी सभी जातियों के लोगों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तेज हुई है और दूसरी उच्च जातियों के मूल्यों का अनुसरण कर उनके पदचिन्हों पर चलकर उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाने में लगी हैं जो उच्च जातियों में प्रचलन में है। और इसी प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के परिवारों में ब्राहमणों को निमंत्रित किया जाने लगा है। अभी भी सामाजिक भय के कारण ब्राहमण वाल्मीकि जातियों के यहां ब्राहमण जाने से कतराते हैं। परन्तु कुछ अवसरों पर गांव के लिए अनजान ब्राहमण आकर यह कार्य संपन्न कराते हैं।

परम्परागतरुप से अनुसूचित जातियों एवं उच्च जातियों के बीच सहसंबंध सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों के आधार पर लगभग पूर्णतयाः प्रतिबन्धित थे। केवल कुछ व्यक्तिगत मामलों में जहां किसी व्यक्ति की किसी उच्च जातीय व्यक्ति से पढाई या नौकरी के दौरान अथवा जजमानी व्यवस्था के तहत मित्रता या उठना बैठना होता था वहीं कुछ सहसंबंध अपेक्षित थे अन्यथा उच्च व निम्न जातीयों के बीच कोई अधिक संबंध नहीं थे।

अध्ययन का निष्कर्ष है कि पहले जहां केवल 18.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में उच्च जातीय परिचित व्यक्तियों को शादी समारोह में बुलाया जाता था वहीं अब यह प्रतिशत बढकर 73.6 प्रतिशत पर पहुँच गया है। हालांकि समाज में अब भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना एक सपना ही है परन्तु बढ़ती राजनीतिक भागीदारी एवं जागरुकता के कारण अनुसूचित जाति के

व्यक्तियों एवं अन्य जातियों के व्यक्तियों के बीच सम्पर्क पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों ने विशिष्ट क्षेत्रों में दक्षता हासिल करली है जिसके कारण उन्हें अन्य जातियों के व्यक्तियों की तथा दूसरी जातियों को उनकी आवश्यकता पडती है। अतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामाजिक सम्पर्क की आवश्यकता के कारण अब दोनों तरफ से पहले की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों को सामाजिक व राजनीतिक संबंध बनाये जाते हैं।

कोरी व धुानक जाति के व्यक्तियों के साथ अपेक्षाकृत कम भेदभाव होता है अतः इन जातियों के शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में अन्य जातियों के व्यक्तियों को बुलाया जाता है। इसका कारण यह है कि इनकी संख्या कम है तथा इस कारण इन्हें अच्छे सम्बन्ध रखने पड़ते हैं तथा कोरी जातियों के पुरुष सदस्य शहर में रहते है इस कारण भी उच्च जातियों के व्यक्ति इनसे अच्छे सम्बन्ध बनाकर रखते हैं।

पहले उच्च जातियों द्वारा पहले अनुसूचित जतियों के व्यक्तियों को बहुत कम संख्या में शादी या अन्य समारोह में बुलाया जाता था। पहले जिन लोगों को बुलाया जाता था वे लोग अधिकांशतयाः उच्च जातियों के यहां काम करने वाले होते थे अथवा उन्हें काम आदि करने के लिए ही बुलाया था अर्थात ये संबन्ध बराबरी के आधार पर नहीं बल्कि मालिक नौकर अथवा जजमानी व्यवस्था से परिभाषित होते थे। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को ही सम्मान के साथ बुलाया जाता था।

अध्ययन से स्पष्ट होता है 11.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवारों में से गांव के उच्च जातीय व्यक्तियों द्वारा शादी या अन्य समारोह अथवा भोज आदि में बुलाया जाता था परन्तु बराबरी का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। खाने व बैठने की व्यवस्था स्वजातीय व्यक्तियों से अलग की जाती थी तथा खाने का प्रकार भी स्वजातीय व्यक्तियों से भिन्न प्रकार का होता था। 24.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि अब उनके परिवार में उच्च जातीय व्यक्तियों द्वारा निमंत्रण दिया जाता है। तथा अब पहले से बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं। अब बराबरी का व्यवहार किया जाता है तथा बैठने व खाने की व्यवस्था भी एक समान होती है। जाटव जाति के व्यक्तियों ने बताया कि बहुत कम व्यक्ति उच्च जातीय व्यक्तियों के निमंत्रण पर उनके घर जाते हैं क्योंकि उनके यहां जाना उनमें से अधिकांश को अपमान जैसा महसूस होता है इसीलिए उनका प्रतिशत कम है।

अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में पहले एवं वर्तमान में शादी में होन वाले व्यय में परिवर्तन काफी परिवर्तन आया। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के व्यवसाय एवं इसके फलस्वरुप उनकी आय में भी परिवर्तन आया है। आय में आने वाले परिवर्तन के कारण उनके परिवार में होने वाले कार्यक्रमों जैसे शादी, जन्मदिन आदि में होने वाला व्यय भी पहले की तुलना में काफी बढ गया है। तालिका क्रमांक 5.1. 5 से इस तथ्य की पुष्टि होती है। तालिका से पता चलता है कि पहले जहां 59.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में 5000 रुपये से कम में शादी हो जाती थी वहीं अब 52.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में 50 हजार से एक लाख रुपया व्यय करते हैं। पहले जहां एक लाख से दो लाख रुपया व्यय करने वालों प्रतिशत 3.7 था वहीं अब इतनी राशी व्यय करने वालों का प्रतिशत 17.0 हो गया है। पहले जहां दो लाख से उपर रुपया कोई परिवार व्यय नहीं कर पाता था वहीं अब दो लाख या उससे ज्यादा रुपया व्यय करने वालों का प्रतिशत 24.3 हो गया है । इस प्रकार तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की अनुसूचित जातियों में होने वाली शादियों में होने वाले व्यय में काफी बदलाव आया है और यह उनके आर्थिक विकास को इंगित करता है।

महिला स्वतंत्रता तथा उनके अधिकारों का प्रश्न भारत ही नहीं विश्व के लगभग सभी समाजों में चर्चा का विषय रहा है। चूँकि समाज को दिशा निर्देश देने व समाज को संचालित करने के नियम चाहे व धार्मिक विचारों से लिए गये हों अथवा सामाजिक प्रथाओं के रुप में प्रचलन में आये हों, सभी का निर्माता पुरुष रहा है अतः उसने अपनी स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन करते हुए महिलाओं पर मनमाने नियम थोप दिये और पुरुषों के मुकाबले में उनकी स्वतंत्रतता सीमित ही रही। भारत में महिलाओं को पढ़ने, संपत्ति रखने, घर से बाहर जाने, अपनी पसन्द के अनुसार कार्य करने एवं शादी करने की स्वतंत्रता नहीं दी गयी। विधवाओं को पुर्नविवाह के बजाय जलकर मर जाने का सामाजिक नियम बनाया गया। दलित (अनुसूचित जातियों) जातियों में महिलाओं को उच्च जातीय महिलओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी तथा उन्हें पुर्नविवाह एवं पुरुषों के साथ घर से बाहर कार्य करने की आजादी प्राप्त थी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि घर से बाहर पुरुषों के साथ कार्य करना आजादी कम और मजबूरी अधिक थी। आज भी जिन अनुसूचित जातियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन घरों में महिलाऐं कार्य करने के लिए घर से बाहर मजदूरी करने जाती हैं परन्तु जिन घरों की आर्थिक स्थिति है उन परिवारों में महिलाओं को घर से बाहर कार्य करने या अपनी इच्छानुसारा निर्णय लेने की आजादी नहीं है। हालांकि पहले अनुसूचित जातियों में अनेक बुराइयां जैसे अत्यधिक नशाखोरी, अज्ञानता, कुरीतियों की प्रधानता तथा अशिक्षा के कारण महिलाओं पर अत्याचार अधिक होते थे। परन्तु वर्तमान में महिला शिक्षा, सामाजिक जागरुकता तथा कानून का भय आदि के कारण इन अत्याचारों में काफी कमी आयी है।

अध्ययन में पाया गया कि 58.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है और अब पहले जैसी मारपीट अथवा सामान्य बातों के लिए भी जो गाली गलौज होती थी अब नहीं होती है। जबकि 36.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि अभी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। 18.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गयी है उन्होंने अपनी महिलाओं को घरों के अन्दर एक प्रकार से बन्द कर दिया है और उन्हें अकेले बाहर जाने, कोई सामान खरीदने अथवा कोई निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक समाप्त कर दी गयी है। उनका कार्य केवल खाना बनाना और परिवार की देखभाल करना भर रह गया है।

जाति के आधार पर विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि कोरी जाति के उत्तरदाताओं के परिवारों में महिलओं को सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हैं इसका कारण यह है कि अधिकांश कोरी जाति के पुरुष सदस्य शहरों में रोजगार की तलाश में घर से बाहर रहते हैं ऐसी स्थिति में इन महिलाओं को ही घर के अधिकांश कार्य करने पडते हैं। अतः कोरी जाति की महिलाऐं अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता का उपभोग करती है। धानुक व वाल्मीकि जाति में महिलाओं को अपेक्षाकृत कम आजादी प्राप्त है। वाल्मीकि जाति के पुरुष सदस्यों में अशिक्षा व मद्यपान आदि के कारण महिलाओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। धानुक जाति में परम्परागत रुप से ही महिलाओं को कम खुलापन दिया जाता है तथा घर के अधिकांश कार्य पुरुष सदस्य ही करते हैं तथा महिलाऐं केवल घर व पशुओं की देखभाल तक ही सीमित रहती हैं।

सभी जातियों एवं समुदायों में महिलाओं के साथ मारपीट एक आम बात है और यह एक परम्परा सी बन गयी है। हिन्दुओं में तो धार्मिक एवं पवित्र कहे जाने वाले ग्रन्थों में भी महिलाओं को मारने पीटने की बात कही गयी है। तुलसीदासकृत रामचरितमानस की मशहूर चौपाई 'ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताडना के अधिकारी' स्पष्ट रुप से भारतीय और विशेषतौर पर हिन्दु समाज में महिलाओं को बात बात पर पीटने व प्रताडित करने का सरेआम ऐलान करती प्रतीत होती है। मनुस्मृति भी महिलाओं के बारे में इसी प्रकार के विचार रखती है। इस प्रकार के धार्मिक व पवित्र साहित्य के प्रेरणा लेकर महिलाओं को मारना पीटना आम हो गया था। यह परिपाटी आज भी प्रचलित है। न केवल निम्न वर्ग अपितु उच्च जातियों व समाज में उच्च स्थिति प्राप्त व्यक्ति भी महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए पाये जाते हैं। फिल्म स्टार्स की पत्नियां पेमिकाऐं तथा मंत्रियों आदि के परिवारों की महिलाओं ने अनेको बार अपने साथ छोटी छोटी बातों पर भी मारपीट की शिकायते दर्ज करायी हैं। निम्न कही जाने वाली जातियों ने भी इस प्रकार की परिपाटी समाज के शेष वर्गों से ग्रहण की तथा उन्होंने मी अपनी महिलाओं के साथ छोटी बडी बातों पर हिंसा अपनायी, परन्तु अब स्थिति बदल रही है। अब अनुसूचित जातियों में शिक्षा प्रसार, आर्थिक स्थिति में सुधार तथा महिलाओं में बढती जागरुकता तथा कोर्ट कचहरी के भय के कारण महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाऐं कम हो रही है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन के समय केवल 19..3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके घरों में महिलाओं के साथ अक्सर मारपीट होती है। कुल उत्तरदाताओं के 33.0 प्रतिशत का कहना था कि उनके घर में कभी कभी ही महिलाओं के साथ मारपीट अथव गाली गलौज होती है। 12.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि उन्हें याद भी नहीं रहता कि उनके घर में महिलाओं के साथ कब हिंसा अपनायी जाती है अर्थात ऐसा बहुत कम होता है। 4.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं कहना था कि जब महिलाऐं किसी बात पर अति कर देती हैं और किसी के भी समझाने पर नहीं मानती तब पति, भाई अथवा पिता को उनपर मजबूरी में हाथ उठाना पडता है। अन्यथा उनके घर में महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया जाता है। कुल उत्तरदाताओं के 31.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवार में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा नहीं अपनायी जाती।

भारतीय समाज में निम्नजातियों से बलपूर्वक कार्य कराना एक सामाजिक रुप से स्वीकृत प्रतिमान रहा है। इस प्रथा को सामाजिक कानून जैसी मान्यता मिली हुई थी। कोई भी इस प्रकार के व्यवहार को गलत नहीं मानता था। न तो तो बलपूर्वक कार्य कराने वाले और न ही कार्य करने वाले। सैंकडों वर्षों तक समाज में इसी प्रकार की परम्पराऐं चलती रही और सामाजिक संस्तरण के निम्न स्तर पर स्थित जातियां इनका अमानवीय तरीके से शिकार होती रहीं। आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद इन परम्पराओं में मामूली सुधार आना शुरु हुआ जो धीरे–धीरे समाप्ति की और अग्रसर है। परन्तु निम्न जातियों के जो व्यक्ति आर्थिक रुप से कमजोर है या उनकी संख्या किसी स्थान पर बहुत कम है तो उन्हें ऐसी स्थितियों से अभी भी दो चार होना पडता है। अर्थात सामाजिक गुलामी अभी भी कायम है। विश्व दासता सूचकांक 2013 के अनुसार दुनिया के 162 देशों पर किये गये सर्वे के अनुसार भारत में आज भी विश्व के सबसे ज्यादा गुलाम निवास करते हैं। अध्ययन में 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको अभी भी बलपूर्वक कार्य करना पडता है। हालांकि अब उसकी आवृत्ति पहले जैसी नहीं है। और पहले जैसी कठोरता भी नहीं है परन्तु फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि उन्हें न चाहते हुए भी कार्य करना पड़ता है। वाल्मीकि जाति के उत्तरदताओं में यह प्रतिशत सबसे ज्यादा 17.9 है क्योंकि इनका कार्य व जाति को अभी भी सबसे निम्न माना जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। इस कारण इन्हें अभी भी इस प्रकार की स्थितियों से रुबरु होना पड़ता है। नट जाति आर्थिक रुप से सशक्त हो गयी है और चूँकि उन्होंने अपना परम्परागत कार्य नाच गाना छोड दिया है अतः उनसे जबरदस्ती कोई कार्य करा पाना संभव नहीं रह गया है। इसीलिए नट जाति में बलपूर्वक कार्य करने का प्रतिशत शून्य है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है। परन्तु उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए सरकारी व सामाजिक स्तर पर और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों का समाज के अन्य वर्गों के साथ सामंजस्य बढ रहा है तथा अब पहले की अपेक्षा सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव हुआ है तथा उन्हें दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने, उच्च जातियों के यहां शादी समारोह आदि में जो तथा उच्च जातियों का इन जातियों के यहां आने का चलन बढ़ रहा है। समाज के सबसे उच्च पायदान पर आसीन ब्राहमण भी अब अनुसूचित जातियों का निमंत्रण स्वीकार कर इनके यहां शादी तथा अन्य अवसरों पर अपनी सेवाऐं देने के लिए आने लगे है। परन्तु परिवर्तन एवं विकास की यह प्रक्रिया अभी धीमी है तथा इसे तेज करने एवं अनुसूचित जातियों को देश व समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समाज, सरकार एवं स्वयं अनुसूचित जातियां तीनों स्तरों पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

तालिकाऐं–

तालिका क. 1 उत्तरदाताओं के परिवारों में दूल्हे के घोडी पर बैठने की स्थिति (2014–2015)

जाति	पहले		अब	
	हां	नहीं	हां	नहीं
जाटव	26 20.8%	99 79.2%	117 93.6%	8 6.4%
चमार	9 17.3%	43 82.7%	46 88.5%	6 11.5%
वाल्मिकी	8 14.3%	48 85.7%	40 71.4%	16 28.6%
कोरी	4 12.1%	29 87.9%	33 100.0%	0 0.0%
नट	8 42.1%	11 57.9%	15 78.9%	4 21.1%
धानुक	0 0.0%	15 100.0%	15 100.0%	0 0.0%
योग	**55 18.3%**	**245 81.7%**	**266 88.7%**	**34 11.3%**
	कुल योग 300 (100.0%)			

तालिका क. 2 उत्तरदाताओं की जाति और ब्राहमणों को पुरोहित के रुप में शादी में निमंत्रित करने की स्थिति (2014–2015)

जाति	पहले ब्राहमणें को बुलाना		अब ब्राहमणें को बुलाना	
	हां	नहीं	हां	नहीं
जाटव	23 18.4%	102 81.6%	90 72.0%	35 28.0%
चमार	17 32.7%	35 67.3%	43 82.7%	9 17.3%
वाल्मिकी	4 7.1%	52 92.9%	28 50.0%	28 50.0%
कोरी	16 48.5%	17 51.5%	26 78.8%	7 21.2%
नट	4 21.1%	15 78.9%	10 52.6%	9 47.4%
धानुक	0 0.0%	15 100.0%	15 100.0%	0 0.0%
योग	**64 21.3%**	**236 78.7%**	**212 70.7%**	**88 29.3%**
	कुल योग 300 (100.00%)			

तलिका क. 3 उत्तरदाताओं की जाति और वर्तमान में ब्राहमणों/पुरोहितों को शादी निमंत्रण स्वीकार कर उपस्थिति होने की स्थिति (2014–2015)

जाति	पहले ब्राहमणें का आना		योग	वर्तमान में ब्राहमणों का आना	
	हां	नहीं		हां	नहीं
जाटव	5 21.8%	18 78.2%	23 35.9%	79 87.8%	11 12.2%
चमार	6 35.3%	11 64.7%	17 26.6%	33 76.7	10 23.3%
वाल्मिकी	--	4 100-0%	4 6.2%	10 35.7%	18 64.3%
कोरी	5 31.2%	11 68.8%	16 25.0%	23 88.4%	3 11.6%
नट	--	4 100-0%	4 6.3%	--	10 100.0%
धानुक	--	--	--	13 86.7%	02 13.3%
योग	**16 25.0%**	**48 75.0%**	**64 100.0%**	**158 74.5%**	**54 25.5%**
	कुल योग 300 (100.0%)			कुल योग 300 (100.0%)	

तलिका क. 4 उत्तरदाताओं की जाति पहले एवं वर्तमान में उच्च जातियों को अपने यहां शादी एवं समारोह में बुलाना (2014–2015)

जाति	पहले		अब	
	हां	नहीं	हां	नहीं
जाटव	26 20.8%	99 79.2%	92 73.6%	33 26.4%
चमार	9 17.3%	43 82.7%	36 69.2%	16 30.8%
वाल्मिकी	8 14.3%	48 85.7%	20 35.7%	36 64.3%
कोरी	4 12.1%	29 87.9%	33 100.0%	0 0.0%
नट	8 42.1%	11 57.9%	15 78.9%	4 21.1%
धानुक	0 0.0%	15 100.0%	15 100.0%	0 0.0%
योग	**55 18.3%**	**245 81.7%**	**211 70.4 %**	**89 29.6%**
	कुल योग		**300**	**(100.0%)**

तलिका क. 5 उच्च जातियों द्वारा उत्तरदाताओं को पहले एवं वर्तमान में अपने यहां शादी एवं अन्य समारोह में बुलाना (2014–2015)

जाति	पहले		अब	
	हां	नहीं	हां	नहीं
जाटव	10 8.0%	115 92.0%	33 26.4%	92 73.6%
चमार	9 17.3%	43 82.7%	16 30.8%	36 69.2%
वाल्मिकी	8 14.3%	48 85.7%	21 37.5%	35 62.5%
कोरी	4 12.1%	29 87.9%	0 0.0%	33 100.0%
नट	3 15.8%	16 84.2%	4 21.1%	15 78.9%
धानुक	0 0.0%	65 100.0%	0 0.0%	15 100.0%
योग	**34 11.3%**	**266 88.7%**	**74 24.7%**	**226 75.3 %**
	कुल योग		**300**	**(100.0%)**

तलिका क. 6 उत्तरदाताओं को पहले एवं वर्तमान में शादी में होन वाले व्यय में परिवर्तन (2014–2015)

व्यय रुपये में	उत्तरदाताओं की संख्या	
	पहले	अब
5000से कम	178 59.3%	--
5000 से 15000	60 20.0%	--
15 हजार से 25हजार	23 7.7%	5 1.7%
25 हजार से 50 हजार	21 7.0%	15 5.0%
50 हजार से एक लाख	13 4.3%	156 52.0%
एक लाख से दो लाख	5 3.7	51 17.0%
दो लाख से उपर	---	73 24.3
योग	**300 (100.0%)**	**300 (100.0%)**

तलिका क. 7 उत्तरदाताओं की जाति और परिवार में महिलाओं को दी जाने वाली स्वत्रंत्रता (2014–2015)

जाति	उत्तरदाताओं के परिवार में महिला स्वत्रंत्रता		
	हां	नहीं	अन्य
जाटव	81 64.8%	38 30.4%	6 4.8%
चमार	29 55.8%	16 30.8%	7 13.5%
वाल्मिकी	24 42.9%	28 50.0%	4 7.1%
कोरी	24 72.7%	8 24.2%	1 3.0%
नट	10 52.6%	9 47.4%	0 0.0%
धानुक	6 40.0%	9 60.0%	0 0.0%
योग	**174** **58.0%**	**108** **36.0%**	**18** **6.0%**
	कुल योग	300 (100.0%)	

तलिका क. 8 उत्तरदाताओं की जाति और परिवार में महिलाओं के साथ मार पीट की स्थिति (2014–2015)

जाति	महिलाओं के साथ मार पीट की स्थिति				
	हां	कभी कभी	भाायद ही	जब स्थिति बेकाबू हो	बिल्कुल नहीं
जाटव	15 12.0%	49 39.2%	11 8.8%	6 4.8%	44 35.2%
चमार	12 23.1%	12 23.1%	8 15.4%	4 7.7%	16 30.8%
वाल्मिकी	17 30.4%	8 14.3%	8 14.3%	3 5.4%	20 35.7%
कोरी	8 24.2%	12 36.4%	4 12.1%	0 0.0%	9 27.3%
नट	4 21.1%	9 47.4%	5 26.3%	0 0.0%	1 5.3%
धानुक	1 6.7%	9 60.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 33.3%
योग	**57** **19.0%**	**99** **33.0%**	**36** **12.0%**	**13** **4.3%**	**95** **31.7%**
	कुल योग		300 (100.0%)		

तलिका क. 9 उत्तरदाताओं की जाति और उच्चजातियों द्वारा उनसे बलपूर्वक (कार्य कराने) बेगार लेने की स्थिति (2014–2015)

जाति	बलपूर्वक कार्य करने की स्थिति		योग
	हां	नहीं	
जाटव	5 4.0%	120 96.0%	**125** **41.7%**
चमार	4 7.7%	48 92.3%	**52** **17.3**
वाल्मिकी	10 17.9%	46 82.1%	**56** **18.6 %**
कोरी	1 3.0%	32 97.0%	**33** **11.0%**
नट	0 0.0%	19 100.0%	**19** **6.4%**
धानुक	1 6.7%	14 93.3%	**15** **5.0%**
योग	**21** **7.0%**	**279** **93.0%**	**300** **100.0%**
	कुल योग	300 (100.0%)	

सन्दर्भ सूची

1.कुमार विवेक, (2008), चेजिंग ट्रेजेक्टरी ऑफ दलित असरशन इन उत्तर प्रदेश, दलित इन कन्टेम्पोरेरी इन्डिया वो. 1, सम्पादक नन्दूराम में प्रकाशित, सिद्धान्त पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2.अम्बेडकर बी.आर.;(1989), डा. बाबासाहेब राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खण्ड– 5, एजूकेशन डीपार्टमैंट, गवर्नमैंट ऑफ महाराष्ट्र, भारत।
3.कुप्पुस्वामी बी; (1990), सोसल चेंज इन इन्डिया– चौथा रिप्रिन्टेड ऐडीशन, कोनार्क पब्लिशर्स लिमिटेड, दिल्ली।
4.ऑमवैत गैल; (2007). दलित एण्ड द डेमोक्रेटिक रीवॉल्यूशन, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
5.नन्दूराम, (2009),दलित्स मूवमैंट इन इन्डिया, दलित्स इन कनटेम्परेरी इन्डिया, सम्पादक नन्दूराम, सिद्धान्त पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6.जोगदण्ड पी जी, (2008), डवलपमैंट ऑफ दलित्सः सम ऑब्सरवेशन्स, शैडयूल्ड कास्ट एण्ड शैडयूल्ड ट्राइब्स इन इण्डिया में प्रकाशित, सम्पादक जगन कराड़े।ीजजचरूध्ध्ूण्बंउइतपकहमेबीवसंतेण्बवउध्कवूदसवंकध्ेउचसमध58518
7.दूबे अभय कुमार, (2007), आधुनिकता के आइने में दलित (सम्पादित), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
8.रविन्द्रनाथ मुकर्जी, (2013), सामाजिक विचारधारा– काम्टे से मुकर्जी तक, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
9.मदन जी आर, (2012), विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org